राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक. एफ 25 (2) /लेखा/पीए/निकाशि/2013/278 दिनांक 21.10.2013

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (पुरूष एवं कन्या)
क्षेत्रीय सहायक निदेशक
कालेज शिक्षा, राजस्थान

विषय :- **विभाग के अधीन महाविद्यालयों/कार्यालयों में राजपत्रित एवं अराजपत्रित कार्मिकों के वेतन स्थिरीकरणों एवं संशोधित वेतन स्थिरीकरणों के लिए अधिकृत करने बाबत।**

सन्दर्भ :- **विभाग के पत्र कमांक एफ 25 (2) लेखा/पीए/निकाशि/2012-13, 185 दिनांक 10.7.2013, 499-59 दिनांक 13.9.13, 518 दिनांक 25.9.13 एवं 275 दिनांक 10.10.2013**

महोदय,

उपरोक्त विषयानतर्गत सन्दर्भित आदेशों के क्रम में लेख हे कि वित (नियम) विभाग के पत्र कमांक एफ 14 (1) एफडी/रूल्स/2013 दिनांक 6.4.2013 में समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण (संशोधित) दिनांक 1.1.2006 से किये जाने है। इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश कमांक 185 दिनांक 10.7.2013, 499-509 दिनांक 13.9.2013 व पत्र कमांक 518 दिनलांक 25.9.13 एवम् 275 दिनांक 10.10.2013 के साथ साथ जिन महाविद्यालयों में नवपदोन्नत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I पर कार्यग्रहण कर लिया है, को वेतन स्थिरीकरण के लिए अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेशों के अनुसार जिन शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों के न्यायालय के निर्णयानुसार स्थिरीकरण प्रकरण तथा Takeover संस्था से व 1.1.2006 से पूर्व में वेतन स्थिरीकरण निदेशालय स्तर से किये जायेंगे। आदेश कमांक 275 दिनांक 10.10.2013 में संशोधन करते हुए RVERS सेवा के अराजपत्रित कार्मिकों के वेतन स्थिरीकरण (संशोधित) करने हेतु पूर्व में जारी आदेश कमांक 185 दिनांक 10.7.2013 499-509 दिनांक 13.9.2013 व पत्र कमांक 518 दिनांक 25.9.2013 के साथ साथ जिन महाविद्यालयों में नवपदोन्नत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I पर कार्यग्रहण कर लिया है, को RVERS के अशैक्षणिक कार्मिकों के वर्तमान में कार्यरत स्थान से वेतन स्थिरीकरण (संशोधित) प्रपत्र तैयार करवा कर वेतन स्थिरीकरण के लिए अधिकृत किया जाता है।

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

क्रमांक. एफ 25 (2) /लेखा/पीए/निकाशि/2013/278 दिनांक 21.10.2013

प्रतिलिपि :-

1. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईड प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर